

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गये जाने के लिये)

1. परियोजना विवरण :-

- (i) अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
रिलायंसा जियो इफोकम लिमिटेड रायपुर द्वारा केतमा से हाडमोर तक भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु 0.813 हेक्टर वनभूमि की आवश्यकता है।
 - (ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
संलग्न है।
 - (iii) परियोजना की लागत।
48,00,000.00 (आड़त्तीस लाख)
 - (iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने से बेहतर आधुनिक सुविधा प्राप्त हो जायेगी।
 - (v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)
आवश्यक नहीं है।
 - (vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।
स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।
भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु आरक्षित वन निरंक, संरक्षित वन 0.767 हेक्टर, ऑरेंज एरिया 0.029 एवं राजरक्ष वनभूमि रकबा 0.017, कुल 0.813 हेक्टर अपेक्षित है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।
निरंक
- (i) परिवार की संख्या।
निरंक
 - (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।
निरंक
 - (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)
आवश्यक नहीं है।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)
नहीं है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) आवश्यक नहीं है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।
चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न हैं।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

तिथि :-

स्थान:-

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक संख्या -

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाये)

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/द.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम	:	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु केतया से हाडघोर तक
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	:	रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड रायपुर
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग :	:	0.813 हेक्टेयर
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला वनमंडल परियोजना स्थल कोरबा कटघोरा केतमा से हाडघोर
5. वनभूमि का विस्तृत विवरण	:	वनखंड कक्ष क्र. आवेदित क्षे. का क्षेत्रफल
क. आरक्षित वन	:	निरंक
ख. सीमांकित संरक्षित वन	:	केन्दई 403 0.052
		केन्दई 391 0.116
		केन्दई 383 0.091
		केन्दई 382 0.049
		केन्दई 381 0.147
		केन्दई 353 0.127
		केन्दई 352 0.026
		केन्दई 354 0.097
		केन्दई 348 0.062
		योग :- 0.767 हेक्टेयर
ग. आरक्षण एरिया	:	केन्दई 708 0.018
		केन्दई 707 0.011
		योग: 0.029 हेक्टेयर
घ. राजस्व वन क्षेत्र	:	चोटिया 381/1 0.017
		कुल योग : 0.813 हेक्टेयर

6. आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार :
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण : प्रजाति कुल वृक्षों की संख्या
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति : निरंक
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य : आवश्यक नहीं है।
मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)
10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र : नहीं
(राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील/घाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।
11. आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प : नहीं
के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपारा के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व रवीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उसी मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन : निरंक
किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।

प्रमाण - पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये शौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : केतमा रो हाडमोर
दिनांक :


उप वनमंडलाधिकारी
कटघोरा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
केंदई


वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
कटघोरा, वनमण्डल
जिला- कोरबा (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7. परियोजना /स्कीम का स्थान : भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु केतमा से हाडमोर
- (i) राज्य/ संघ शासित क्षेत्र : छत्तीसगढ़
- (ii) जिला : कोरबा
- (iii) वन प्रभाग : कटघोरा इनमंडल
- (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन : 0.813 हेक्टर वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर)
- (v) वन कानूनी स्थिति : आरक्षित वन गिरंक , संरक्षित वन 0.767 हेक्टर, ऑरिज एरिया 0.029 हेक्टर एवं राजस्व वनभूमि 0.017 कुल 0.813 हेक्टर
- (vi) हरियाली का घनत्व :
- (vii) प्रजातियार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) रिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये ;
- भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाना है वृक्ष विनोदन प्रस्तावित नहीं है ।
- (viii) भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ;
- भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र संवेदनशील नहीं हैं ।
- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।
- वनों से लगा हुआ एवं वनक्षेत्र से होकर गुजरती है ;
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है ; (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वाईडन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)
- नहीं हैं ;
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रजातियों की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ;
- नहीं
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण रंगारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।
- नहीं
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे ।
- प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता से सहमत हूं ।

9. क्या अभिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।
- नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।
- आवश्यकता नहीं है।
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इराकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- निरंक
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- आवश्यक नहीं है।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत डोंचा आदि।
- आवश्यक नहीं है।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिचर्य।
- निरंक
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से राक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)
- आवश्यक नहीं है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)।
- आवश्यक नहीं है।
12. विभाग/जिला प्रोफाईल
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र
- 7145.440 वर्ग किलो मीटर।
- (ii) जिले का वन क्षेत्र
- 4187.375 वर्ग किलो मीटर।
- (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।
- 30 प्रकरण 3391.699 हेक्टर
- (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।
..... निरंक हेक्टर
(ख) वनेतर भूमि पर।
निरंक

- (v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (वनमंडल कटघोरा)
 (क) वन भूमि।
 1256.186 हेक्टर
 (ख) वनेत्तर भूमि पर। (वनमंडल कटघोरा)
 - 20 हैं. गैर वनभूमि (कोरबा वनमंडल)

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।
 रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा 4 जी सेवा देख के सभी जिलों, तहसीलों एवं गांव को दूरसंचार की आधुनिकता सुविधा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में उपलब्ध सभी आधुनिक सुविधाएं (एस.टी.डी., इंटरनेट, फैंक्स ईगेल आदि) का भरोसेमंद गीडिया " आप्टिकल फायबर केबल " है ओ. एफ.सी. बिछाया गई है वह छोटी जगह भी आधुनिकतम दूरसंचार सेवाओं का लाभ ले रही है। इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है केरामा से हाडमोर के बीच ओ.एफ.सी. केबल बिछाना ताकि इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी सम्बन्धित क्षेत्र देश के हर हिस्सा से जोड़े जायेंगे तथा देश के किसी भी हिस्से से सम्बन्धित क्षेत्र में संचार संभव हो जायेगा। वस्तुतः सम्पूर्ण भारत इससे लाभान्वित होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डलाधिकारी
 कटघोरा वनमंडल
 कटघोरा, वनमंडल
 जिला- कोरबा छत्तीसगढ़

दिनांक :-

स्थान :-

भाग III

भाग 03

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14 स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल है क्या :-
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।
- 15 क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ।
- 16 प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।

तिथि :-

स्थान :-

मुख्य वन संरक्षण
जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़

भाग -04

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

- 17 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को रवीकार :-
करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

तिथि :-

स्थान :-

नोडल अधिकारी

ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र

प्रस्तावित भूमि पर ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं है।




(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़


उप वनमंडलाधिकारी
कटघोरा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
केंदई


वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।



(अगन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

परिशिष्ट बी 8

नियम 4 (1) (ग) देखें

वन अधिकारी समिति द्वारा समुदायिक दावों को ग्राम सभा में प्रस्तुत किये जाने का प्रारूप

1. दावेदार (से) का/के नाम
- क. वन निवारी अनुसूचित जनजाती (एफडीएसटी) समुदाय हां / नहीं
- ख. अन्य दरम्परागत वन निवारी (ओटीएफडी) समुदाय हां / नहीं
2. ग्राम कोरबा
3. ग्राम पंचायत कोरबा
4. तहसील/ तालुका कोरबा उपरोडा
5. जिला कोरबा
6. भूमि पर दावे का स्वरूप लिखे नोट से लागू होने वाले भूमि स्वरूप को अंकित करें।
7. छावा की गई भूमि का क्षेत्रफल
8. छावा स्वीकृत/अस्वीकृत/आंशिक स्वीकृत
9. स्वीकृत या अस्वीकृत की होने की स्थिति में दावेदार के पक्ष में भूमि का क्षेत्रफल

संलग्न

1. भूमि का वन अधिकार समिति द्वारा अभिप्रमाणित मानचित्र
2. खसरा / कंपार्टमेंट से सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण
3. दावेदार के द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र एवं समस्त अभिलेख
4. वन अधिकारी समिति द्वारा दावों के समर्थन में प्रस्तुत समस्त अभिलेख (सभी अभिलेखों का नाम दिया जाये)

हरतारा सिंह
हरतारा सिंह
ग्राम पंचायत कोरबा
नाम: कोरबा उपरोडा
जिला कोरबा (छ.ग.)


हरतारा सिंह
हरतारा सिंह
ग्राम पंचायत कोरबा
नाम: कोरबा उपरोडा

टीप :- भूमि पर दावों का स्वरूप का प्रकार

1. निरन्तर, 2. गौण वन उत्पादों का अधिकार, 3. (मछली, जलाशय), 4. चरने, हेतु 5. पारंपरिक संसाधनों तक यायावर और पशुपालकों की पहुंच 6. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास्त और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियां, जैव विविधता तक सौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, 7. अन्य पारंपरिक अधिकार

अध्यक्ष
ग्राम वन समिति
ग्राम पंचायत

वन परिक्षेत्र अधिकारी



कार्यालय ग्राम पंचायत केदार
 विकास खण्ड केदार जिला- कोरवा (छ.ग.)
पोस्ट 845031

दिनांक 24/11/16

क्र.

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी
 वन मण्डल केदार
 जिला- कोरवा (छ.ग.)

विषय- ग्राम केदार के कक्ष क्र० P 386, 381, 382 में (OFC) ऑप्टिकल फायवर केवल
383, 383, 389 बिछाने बावत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत केदार के ग्राम केदार के
 कक्ष क्र० P 386, 381, 382 में ऑप्टिकल फायवर केवल (OFC) बिछाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट
383, 383, 389 करें। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत केदार को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आज दिनांक 24/11/16 को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।


 अधिकारी
 ग्राम पंचायत
 कोरवा (छ.ग.)


 वनमण्डलाधिकारी
 कोरवा (छ.ग.)

क्रमांक/ओएफसी/वन/अनुमोदन/2016-17

दिनांक :

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु वन परिक्षेत्र क्रमांक P-386,381,382,383 में हसदेव नदी से पुन्यलोक, कोरबा तक कुल 393,30 कि.मी. मार्ग सगानान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः वनसंरक्षण अधिनियम के तहत उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर --


सरोज कुमार
ग्राम पंचायत केन्द्र
जन.पंचा.पोंडी उपरोडा
जिला-कोरबा (छ.ग.)


सरोज कुमार
ग्राम पंचायत केन्द्र
जिला पोंडी उपरोडा
ग्राम पंचायत
जिला कोरबा (छ.ग.)

कार्यवाही बैठक की नकल

विकास खण्ड **चौडी हनुमान** तहसील **चौडी हनुमान** जिला **चौडी हनुमान**

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
01	श्रीमति सुनीता सिंह		आज दिनांक 25/01/2016 को		
02	श्री गणेश कुमार	परमाणु प्रकल्प	समय आठ बजे तक के लिए		
03	श्रीमती सुनीता सिंह	परमाणु प्रकल्प	श्रीमति सुनीता सिंह ने बताया कि		
04	श्रीमती सुनीता सिंह	परमाणु प्रकल्प	आज दिनांक 25/01/2016 को		
05	श्रीमती सुनीता सिंह	परमाणु प्रकल्प	श्रीमती सुनीता सिंह ने बताया कि		
06	श्रीमती सुनीता सिंह	परमाणु प्रकल्प	श्रीमती सुनीता सिंह ने बताया कि		
07	श्रीमती सुनीता सिंह	परमाणु प्रकल्प	श्रीमती सुनीता सिंह ने बताया कि		
08	श्रीमती सुनीता सिंह	परमाणु प्रकल्प	श्रीमती सुनीता सिंह ने बताया कि		
09	श्रीमती सुनीता सिंह	परमाणु प्रकल्प	श्रीमती सुनीता सिंह ने बताया कि		
10	श्रीमती सुनीता सिंह	परमाणु प्रकल्प	श्रीमती सुनीता सिंह ने बताया कि		

ग्राम पंचायत-केंद्र
चौडी हनुमान
जिला-जयपुर

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

- 1. ग्राम सभा के अध्यक्ष
- 2. ग्राम सभा के सदस्य

क्र.	नाम	पता
1	श्री. राजेश कुमार	...
2	श्री. विजय कुमार	...
3	श्री. अमित कुमार	...
4	श्री. सुनील कुमार	...
5	श्री. अशोक कुमार	...
6	श्री. प्रदीप कुमार	...
7	श्री. विवेक कुमार	...
8	श्री. अजय कुमार	...
9	श्री. अक्षय कुमार	...
10	श्री. अरुण कुमार	...
11	श्री. अशोक कुमार	...
12	श्री. अशोक कुमार	...
13	श्री. अशोक कुमार	...
14	श्री. अशोक कुमार	...
15	श्री. अशोक कुमार	...
16	श्री. अशोक कुमार	...
17	श्री. अशोक कुमार	...
18	श्री. अशोक कुमार	...
19	श्री. अशोक कुमार	...
20	श्री. अशोक कुमार	...

- कार्यवृत्त अभिलेख
- 2. शामिल न की सारी
- 3. उपस्थित ग्राम सभियों की संख्या

1. श्री. राजेश कुमार
2. श्री. विजय कुमार
3. श्री. अमित कुमार
4. श्री. सुनील कुमार
5. श्री. अशोक कुमार
6. श्री. प्रदीप कुमार
7. श्री. विवेक कुमार
8. श्री. अजय कुमार
9. श्री. अक्षय कुमार
10. श्री. अरुण कुमार
11. श्री. अशोक कुमार
12. श्री. अशोक कुमार
13. श्री. अशोक कुमार
14. श्री. अशोक कुमार
15. श्री. अशोक कुमार
16. श्री. अशोक कुमार
17. श्री. अशोक कुमार
18. श्री. अशोक कुमार
19. श्री. अशोक कुमार
20. श्री. अशोक कुमार

Handwritten signature or mark at the bottom of the table.

ग्राम सभा

ग्राम सभा के

ग्राम सभा के नाम

ग्राम सभा

ग्राम सभा के अध्यक्ष

ग्राम सभा

ग्राम सभा के अध्यक्ष के पद पर विवरण

ग्राम सभा के अध्यक्ष के पद पर विवरण
ग्राम सभा के अध्यक्ष के पद पर विवरण

कार्यवृत्त अभिलेख

- 1. ग्राम सभा की कार्यवाही
- 2. ग्राम सभा की कार्यवाही
- 3. उपरि श्रेणियों में कार्यवाही की जायेगी

ग्राम सभा के अध्यक्ष के पद पर विवरण
ग्राम सभा के अध्यक्ष के पद पर विवरण

संस्कृत शब्दार्थ संग्रह

१	अक्षय	अक्षय
२	अक्षय	अक्षय
३	अक्षय	अक्षय
४	अक्षय	अक्षय
५	अक्षय	अक्षय
६	अक्षय	अक्षय
७	अक्षय	अक्षय
८	अक्षय	अक्षय
९	अक्षय	अक्षय
१०	अक्षय	अक्षय
११	अक्षय	अक्षय
१२	अक्षय	अक्षय
१३	अक्षय	अक्षय
१४	अक्षय	अक्षय
१५	अक्षय	अक्षय

संस्कृत शब्दार्थ संग्रह

१	अक्षय
२	अक्षय
३	अक्षय
४	अक्षय
५	अक्षय
६	अक्षय
७	अक्षय
८	अक्षय
९	अक्षय
१०	अक्षय
११	अक्षय
१२	अक्षय
१३	अक्षय
१४	अक्षय
१५	अक्षय

क्रमांक/ओएफसी/वन/अनुमोदन/2016-17

दिनांक : 31/5/16


4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु वन परिक्षेत्र क्रमांक ^{P352, P354, P353} ~~0170901708~~ में ~~विदेव नदी~~ ^{कामनापुरा} से ~~विदेव नदी~~ तक कुल 0.8 कि.मी. मार्ग समानान्तर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी।

ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः वनसंरक्षण अधिनियम के तहत उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -


ग्राम पंचायत-बलवा
वि. सं. - पी.डी.एस.बलवा
जिला-बलवा (ह.स.)


सहायक
ग्राम पंचायत-बलवा
ग्राम पंचायत-बलवा
वि. सं. - पी.डी.एस.बलवा
जिला - बलवा (ह.स.)



कार्यालय ग्राम पंचायत
विकारा खण्ड जिला- केशव (छ.ग.)

क्र.

दिनांक 31/05/2016

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल केशव (छ.ग.)
जिला- केशव (छ.ग.)


विषय:- ग्राम कोपाववापाके कक्ष क्र० P352, P354, P353
0A-703, 704, 708 में (OFC) ऑप्टिकल फायवर केवल
बिछाने बावत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम कोपाववापाके
कक्ष क्र० P352, 353, 354 में ऑप्टिकल फायवर केवल (OFC) बिछाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट
करें। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आज दिनांक 31/05/16 को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।


ग्राम पंचायत
वि. ख. - केशव (छ.ग.)


श्रीमान वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल केशव (छ.ग.)
जिला- केशव (छ.ग.)

परिशिष्ट बी-8

नियम 4 (1) (ग) देखें

वन अधिकारी समिति द्वारा समुदायिक दावों को ग्राम सभा में प्रस्तुत किये जाने का प्रारूप

1. दावेदार (से) का/के नाम
- क. वन निवासी अनुसूचित जनजाती (एफडीएसटी) समुदाय हां / नहीं
- ख. अन्ध परम्परागत वन निवासी (ओटीएफडी) समुदाय हां / नहीं
2. ग्राम ... कोरवा (छ. ग.)
3. ग्राम पंचायत ... परवा
4. तहसील / तालुका ... परवा
5. जिला ... कोरवा
6. भूमि पर दावे का स्वरूप लिखे नोट से लाभू होने वाले भूमि स्वरूप को अंकित करें।
7. छावा की गई भूमि का क्षेत्रफल
8. छावा स्वीकृत / अस्वीकृत / आंशिक स्वीकृत
9. स्वीकृत या अस्वीकृत की होने की स्थिति में दावेदार के पक्ष में भूमि का क्षेत्रफल

संलग्न

1. भूमि का वन अधिकार समिति द्वारा अभिप्रमाणित मानचित्र
2. खसरा / कंपार्टमेंट से सहित प्रमुख सीमाबिन्दु द्वारा सीमाओं का विवरण
3. दावेदार के द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र एवं समस्त अभिलेख
4. वन अधिकारी समिति द्वारा दावों के समर्थन में प्रस्तुत समस्त अभिलेख (सभी अभिलेखों का नाम दिया जाये)

हस्ताक्षर राजेश
 नाम: कोरवा (छ. ग.)

हस्ताक्षर राजेश
 नाम:

टीप :- भूमि पर दावों का स्वरूप का प्रकार

1. निरन्तर, 2. गौण वन उत्पादों का अधिकार, 3. (नछली, जलाशय), 4. चरण, हेतु 5. पारंपरिक संसाधनों तक याथावर और पशुपालकों की पहुंच 6. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक बास और पुनर्वास की सामुदायिक अदायियां, जैव विविधता तक सौदिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, 7. अन्य पारंपरिक अधिकार

अध्यक्ष
 ग्राम वन समिति
 ग्राम पंचायत-

वन परिक्षेत्र अधिकारी

ग्राम सभा
ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. समितियों का स्थान

क्रमांक (1)	ग्राम सभा के समस्त खंगारे विषय (2)
2552	नाथनाथ सेवा आवास सोलगा का प्रकल्प
2553	विद्यापीठ जिनके अंगण अंगण का निर्माण के लिये खिडकी आवक

कार्यवाही पंजी
कार्यवाही अभिलेख

1. समितियों का स्थान
2. समितियों के कार्यवाही
3. ग्राम पंचायत की संख्या

क्रमांक (1)	समितियों के कार्यवाही (2)
2552	ग्राम पंचायतों का निर्माण करने के लिये जिनके अंगण अंगण का निर्माण करने के लिये खिडकी आवक
2553	विद्यापीठ जिनके अंगण अंगण का निर्माण करने के लिये खिडकी आवक

ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर एवं ताम्बे

ग्राम सुधार से उपस्थित सदस्यों की वर्णव्यक्ति पत्र

क्र.सं.	नाम	पता	व्यक्तिगत विवरण	व्यक्तिगत विवरण
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

क्र.सं.	नाम	पता	व्यक्तिगत विवरण	व्यक्तिगत विवरण
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ग़रीबी रोक की लक्ष्य

दिनांक 15/05/16

पृष्ठ संख्या

व्यक्ति

पंजीकरण

वर्तमान पेंडीड लिस्ट

जिला क्षेत्र

सत्य प्रमाणिका

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	व्यक्ति का वर्गीकरण	व्यक्ति का पता	व्यक्ति का जिला
1	श्री. नारायण चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
2	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
3	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
4	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
5	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
6	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
7	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
8	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
9	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
10	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच
11	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच	श्री. सोहन चंपूच

दिनांक 15/05/16

ग्राम पंचायत, जिला

प्रश्न-4 (13) **शुद्ध पद्यांश प्रतिशब्दि पंजी**
 ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

क्र.सं. (1)	सदस्य के नाम (2)	सदस्य के पता (3)	सदस्य के नाम (1)	सदस्य के पता (2)	सदस्य के नाम (3)
15	श्री. राजेश	श्री. राजेश	1. ग्राम सभा		
16	श्री. राजेश	श्री. राजेश	2. ग्राम सभा		
17	श्री. राजेश	श्री. राजेश	3. ग्राम सभा		
18	श्री. राजेश	श्री. राजेश	4. ग्राम सभा		
19	श्री. राजेश	श्री. राजेश	5. ग्राम सभा		
20	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
21	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
22	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
23	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
24	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
25	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
26	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
27	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
28	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
29	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
30	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
31	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
32	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
33	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
34	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
35	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
36	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
37	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
38	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
39	श्री. राजेश	श्री. राजेश			
40	श्री. राजेश	श्री. राजेश			

Form No. 1
आयुक्त मंत्रालय, दिल्ली
आयुक्त मंत्रालय, दिल्ली की संरचना पर

क्र.सं. (1)	व्यक्ति का नाम (2)	पद का नाम (3)	व्यक्ति का पता (4)
40	श्री. अ. अ. अ.
41	श्री. अ. अ. अ.
42	श्री. अ. अ. अ.
43	श्री. अ. अ. अ.
44	श्री. अ. अ. अ.
45	श्री. अ. अ. अ.
46	श्री. अ. अ. अ.
47	श्री. अ. अ. अ.
48	श्री. अ. अ. अ.
49	श्री. अ. अ. अ.
50	श्री. अ. अ. अ.



कार्यालय ग्राम पंचायत लमना
विकारा खण्ड प्रो.डी.उपरोडा जिला कोरवा (छ.ग.)

क्र.

दिनांक 24/3/16

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल लमना
जिला कोरवा (छ.ग.)

विषय-ग्राम लमना-चोडिया P463, 464, 348
के कक्ष क्र० 04705 में (OFC) ऑप्टिकल फायवर केवल
बिछाने बावत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत लमना के
कक्ष क्र० P463, 464 में ऑप्टिकल फायवर केवल (OFC) बिछाने की रवीकृति प्रदान करने का कष्ट
करें। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत लमना को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आज दिनांक 24/3/16 को यह अज्ञापति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

सरपंच
ग्राम पंचायत लमना
वि.ख.-प्रोडी उपरोडा
जिला-कोरवा (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत लमना
वि.ख.-प्रोडी उपरोडा
जिला-कोरवा (छ.ग.)
05-0-6-2016

पारिशिष्ट बी 8

नियम 4 (1) (ग) देखें


वन अधिकारी समिति द्वारा समुदायिक दावों को ग्राम सभा ने प्रस्तुत किये जाने का प्रारूप

1. दावेदार (से) का/के नाम
- क. वन निहारी अनुसूचित जात/जाती (एफडीएसटी) समुदाय हां / नहीं
- ख. अन्य परम्परागत वन निवासी (ओटीएफडी) समुदाय हां / नहीं
2. ग्राम बेमन चौधिया
3. ग्राम पंचायत अमका
4. तहसील / तालुका पोड़ी उपरोडा
5. जिला कोरवा
6. भूमि पर दावे का स्वरूप लिखे नोट से लागू होने वाले भूमि स्वरूप को अंकित करें!
7. छावा की गई भूमि का क्षेत्रफल
8. छावा स्वीकृत/अस्वीकृत/आंशिक स्वीकृत
9. स्वीकृत या अस्वीकृत की होने की स्थिति में दावेदार के पक्ष में भूमि का क्षेत्रफल

संलग्न

1. भूमि का वन अधिकार समिति द्वारा अभिप्राणित मानचित्र
2. खसरा / कंपार्टमेंट से राइट प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण
3. दावेदार के द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र एवं रागस्त अभिलेख
4. वन अधिकारी समिति द्वारा दावों के समर्थन में प्रस्तुत समस्त अभिलेख (सभी अभिलेखों का नाम दिया जाये)

हस्ताक्षर सरपंच


सरपंच

नाम:

ग्राम पंचायत - बेमन
जन.पंचा. - पोड़ी उपरोडा
जिला - कोरवा (छ.प्र.)

टीप :- भूमि पर दावे का स्वरूप का प्रकार

हस्ताक्षर  ग्राम सभा

ग्राम पंचायत - बेमन
वि.सं. - पोड़ी उपरोडा
जिला - कोरवा (छ.प्र.)

05/06/2016

1. निश्चर, 2. गौण वन उत्पादों का अधिकार, 3. (गछली, जलशाय), 4. चरने हेतु 5. पारंपरिक संसाधनों तक आसानी और पशुपालकों की सहाय 6. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधि, 7. जीव विविधता तक सौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, 8. अन्य पारंपरिक अधिकार

अध्यक्ष

ग्राम वन समिति

ग्राम पंचायत-

वन परिक्षेत्र अधिकारी

प्रपत्र - 6

वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन मण्डलाधिकारी द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ

(1)	छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संबंधित वर्गडल की कुल वास्तविक वनभूमि रकबा	2050.901 वर्ग कि.मी.
(2)	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित वनमंडल के स्वीकृत प्रकरणों में अब तक कितनी वनभूमि प्रभावित हुई है, उसका वास्तविक रकबा	883.726 हे.
(3)	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित वनमंडल के भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्राप्त प्रकरणों में कुल कितनी वनभूमि प्रत्यावर्तित हुई है, जिसका प्रयोजनावार कुल रकबा (30)	3391.699 हे.
(4)	लघु खनिज परियोजना कुल रकबा	0.000 हे.
	वृहत खनिज परियोजना कुल रकबा (13)	2189.995 हे.
	सिंचाई परियोजना कुल रकबा (01)	31.910 हे.
	विद्युत पावर परियोजना कुल रकबा (10)	1152.484 हे.
	विविध परियोजना कुल रकबा (05)	12.420 हे.
	लघु जल विद्युत परियोजना (01)	4.890 हे.
	माईक्रो हायडल रायंत्र	0.000 हे.
	योग :	3391.699 हे.
(5)	छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित वनमंडल में वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रगति रकबा	1256.186 हे.
(6)	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृति प्रकरण का जो कुल वनभूमि प्रभावित है रकबा	3391.699 हे.

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा


उप वनमंडलाधिकारी
कटघोरा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कटघोरा

Check list No. 30

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में।

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल मे 30 प्रकरणों में 3391.699 हे. वनभूमि प्रभावित हुई है।


वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल
प्रत्यावर्तित वन भूमि हैं. में

कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत
इस श्रेणी के 5 (पॉच) स्वीकृत प्रकरणों में 12.420 हैं. प्रत्यावर्तन वनभूमि है।


वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

वनमंडल अधिकारी
कटघोरा, वनमण्डल
जिला- कोरबा छत्तीसगढ़


कण्डिका क्रमांक - 32

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

(छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है।


उप-वनमंडलाधिकारी
कटघोरा


वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा)

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी


कटघोरा, वनमण्डल

जिला- कोरबा (छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
केंदई

प्रस्तावित क्षेत्र के 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों
का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणां में)

आवश्यकता नहीं है।


वन मण्डलाधिकारी
(कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
(गा.व.सो.)
वनमंडलाधिकारी
कटघोरा, वनमण्डल
जिला- कोरबा (छ.ग.)


उप वनमंडलाधिकारी
कटघोरा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कंदई

**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति
प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)**

(भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009)

इस योजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्ताव संलग्न है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

प्रदर्श 'स'

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्र./ 3482/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

कोरबा दिनांक 24/11/2016

गेसर रिलायंस जिओ इंफोकॉम को ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु कोरबा जिला में कोरबा वनमंडल के परला, कामानवापरा, लगना, मोरगा, केन्दई गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 0.796 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.796 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 0.028 हेक्टेयर (कुल भूमि 0.824 हेक्टेयर) जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम परला, कामानवापरा, लगना, मोरगा, केन्दई तहसील पोड़ीउपरोड़ा में स्थित हैं, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्र./11-9/98 - एफ सी.(पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहाँ विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) एवं कृषि पूर्व समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हों वहाँ सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, ऑप्टिकल फाइबर, बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन(रेखिक व्यपवर्तन) के लिए ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्ताव दिनांक 4.11.2016 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह(पी.टी.जी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

3. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के दिनांक 4.11.2016 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई चुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

दिनांक

पृ.क्र./ 3483/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

प्रतिलिपि:— 1. सचिव, छोगा शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी अंचल, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. वन मण्डलाधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।

3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोड़ीउपरोड़ा की ओर सूचनार्थ।

4. महाप्रबंधक, रिलायंस जिओ इंफोकॉम रायपुर की ओर सूचनार्थ।

(पी.टी.जी.)

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति

जिला कोरबा

कोरबा दिनांक 24/11/2016

कलेक्टर

कोरबा(छत्तीसगढ़)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मण्डलाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्र./3478 / भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

कोरबा दिनांक 24/11/2016

मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कार्य हेतु कोरबा जिला में कोरबा वनमंडल के गुरसियां, बंजारी, मानिकपुर, लमना, पोड़ीउपरोड़ा, पला, कोनकोना, तानाखार, चोटिया गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 0.687 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जंगजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.687 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 0.069 हेक्टेयर (कुल भूमि 0.756 हेक्टेयर) जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम गुरसियां, बंजारी, मानिकपुर, लमना, पोड़ीउपरोड़ा, पला, कोनकोना, तानाखार, चोटिया तहसील पोड़ीउपरोड़ा में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्र./11-9/98 - एफ सी.(पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहाँ विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) एवं कृषि पूर्व समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हों वहाँ सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, ऑप्टिकल फाइबर, बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन(रेखिक व्यपवर्तन) के लिए ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्ताव दिनांक 4.11.2016 अनुरार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह(पी.टी.जी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जंगजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

3. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के दिनांक 4.11.2016 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जंगजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

दिनांक

(पी.टी.जी.)
कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति

जिला कोरबा

पृ.क्र./3479 / भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

कोरबा दिनांक 24/11/2016

प्रतिलिपि:- 1. राबिव, छोगो शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. वन मण्डलाधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।

3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोड़ीउपरोड़ा की ओर सूचनार्थ।

4. महाप्रबंधक, रिलायंस जिओ इंफोकॉम रायपुर की ओर सूचनार्थ।



कलेक्टर
कोरबा (छ.ग.)

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्रा

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु राजस्व वन भूमि प्रस्तावित है।
कलेक्टर का प्रमाण पत्रा संलग्न है।


(अमित कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कीपी अफयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्र./3480/ मू.अ./स.अ.भू.अ./2016

कोरबा दिनांक 24/11/2016

प्रति,

✓ महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इफोकॉम लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :- रिवेन्यु वन/ वन भूमि परिक्षेत्रांतर्गत सड़क सामानांतर 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आर्टिकल फायबर केबल बिछाने के संबंध में अनुमति प्रदान करने विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./रिलिडलि/आफाके/वनभूमि/2016-17 रायपुर दिनांक 01.08.2016
0000

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु आर्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य बाबत राष्ट्रीय राजमार्ग चोटिया से मोरगा के मध्य सड़क के सामानांतर वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि पर गैर वास्तविकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति/अनुमति प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी कटघोरा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोड़ीउपरोड़ा से प्राप्त अभिमत निम्नानुसार है -

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर/कक्षा क्रमांक	आवेदित रकबा	वन अधिकार गन्धता प्राप्त धारक का नाम	अन्य विवरण
1	पोड़ीउपरोड़ा	परला/ कपानवापरा	P353	0.127	निरंक	वनभूमि
			P352	0.026		वनभूमि
			P354	0.097		वनभूमि
			OA708	0.018		वनभूमि
			OA707	0.011		वनभूमि
योग			0.796			
2	पोड़ीउपरोड़ा	लमना	P348	0.062	निरंक	वनभूमि
3	पोड़ीउपरोड़ा	मोरगा	P403	0.052	निरंक	वनभूमि
4	पोड़ीउपरोड़ा	केन्दई	P391	0.116	निरंक	वनभूमि
			P383	0.091		वनभूमि
			P382	0.049		वनभूमि
			P381	0.147		वनभूमि
योग						
5	पोड़ीउपरोड़ा	केन्दई	262	0.001	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
			247	0.011		बड़े झाड़ के जंगल
6	पोड़ीउपरोड़ा	कपानवापरा	110/1/क	0.016	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
योग				0.028		
महायोग				0.824		

1/2/1

1/2/1

प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि में वन अधिकार पत्र वितरण नहीं किया गया है और न ही वितरण हेतु लंबित है।

अतः ग्राम कापानवापारा, केंदई, मोरगा, लगना, परला में वन भूमि रकबा 0.796 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि रकबा 0.028 हेक्टेयर कुल रकबा 0.824 हेक्टेयर भूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु राक्षम विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाती है।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।
2. आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. आष्टिकल फायबर केबल बिछाने से किराी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
4. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वागित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
5. आष्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
6. आवेदित भूमि पर सीगांकन उपरान्त शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ0ग0 शासन राजस्व विभाग को देय होगी।

(पी. लखन) /

कलेक्टर /

कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ.क्र./3481 / मू.अ./स.अ.शू.अ./2016

कोरबा दिनांक 24 / 11 / 2016

प्रतिलिपि:- 1. राक्षम, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, गहानदी भवन,

नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. वन मण्डलाधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।

3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोड़ीतपरोड़ा की ओर सूचनार्थ।

4. तहसीलदार पोड़ीतपरोड़ा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा (छत्तीसगढ़)



कण्डिका क्रमांक - 36

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रत्याशा मूल्य की राशि हेतु छुट दी गई है। पत्र संलग्न है।



(अमन कुमार सिंह)

गहाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

राज्य सरकार
वन विभाग
राज्य वन विभाग, जिला कार्यालय, जयपुर

क्र. 1/2008/स. 1-8/2008/10-2

जयपुर दिनांक ... / ... / 2008

कृपया अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव
असलीसमक शासन
जयपुर

विषय- Hon'ble Supreme Court's orders dated 28.03.2008 and order dated 09.05.2008 in IA No. 825 in 566 and related IA's regarding the rate of the Net Present Value (NPV) of forest land.


संदर्भ- श्री एम0के0 जिलासमक, सचिव, क्षेत्रीय शासक समिति, का पत्र क्रमांक 19/सी0डू0सी0/एस0सी0/2006-पार्ट, दिनांक 05.06.2008.

— 0 —

354 (2) (e)

व न संरक्षण
(पू-संभ)
पूर (उ.प.)
2008

माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 202/1995 गोदा बर्मन विरुद्ध भारत सरकार के प्रकरण में I. A No. 825 में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस प्रकरण के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमति कंवना चौपड़ा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया था। इस समिति के द्वारा पूरे भारत वर्ष के वर्गों को इकोलाजिकल क्लासेस में बांटकर निम्नानुसार Net present Value को दर्शे प्रस्तावित की है -



Eco-Value Class	Very Dense Forest	Dense Forest	Open Forest
Class I	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class II	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class III	8,57,000	8,63,000	6,26,000
Class IV	6,26,000	5,63,000	4,38,000
Class V	9,39,000	8,45,000	6,57,000
Class VI	9,51,000	8,97,000	6,99,000

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दरें लागू करने के निर्देश दिए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कार्य हेतु वन विभाग को उपरोक्त भेजे की

विशेष प्राथमिकता के तहत का पूरा होना चाहिए।

Category

<p>(I) लघु (2) अस्पताल, (3) विद्युत्-व्यावसायिक खेत वृद्धि के मैदान (4) प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर (5) पानी की टंकी, (6) निस्तारी तालाब (7) पीने के पानी हेतु 4 ईव भूमिगत पाईप लाईन विधान। (8) प्राचीन क्षेत्रों में 22 कोट्टी 0 पियुव लाईन विधान।</p>	<p>प्रत्येक मूल्य से छूट का अधिकतम अंक 100 है। एक इलेक्ट्रिक टैंक वनभूमि की व्यवस्थाओं की प्रकल्पों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट होगी बशर्ते :- A. कोई भूदान कर रहा हो। B. ईको-निष्पन्न वन भूमि उपलब्ध न हो। C. परिवोजना का स्वरूप और वाणिज्यिक हो तथा परिवोजना की योजना/आयोजना के तहत योजना का भाग हो। D. आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य का भाग न हो।</p>
<p>(II) अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में बसे गाँवों को पुनर्स्थापना हेतु वैकल्पिक वन भूमि।</p>	<p>प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट।</p>
<p>(III) वन क्षेत्रों में स्थित नदी/नालो से बोल्लर/रेत एकत्रित करना।</p>	<p>इन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कि :- A. आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान तथा वनप्राप्ति अभ्यारण्य के बाहर स्थित हो। B. इस क्षेत्र में पूर्ण से कोई खनन पट्टा स्वीकृत न हो। C. कार्य जिसमें बोल्लर/रेत का विक्रय भी शामिल है का क्रियान्वयन शासकीय विभाग या इन्फ्रस्ट्रक्चर या ईको विकास समितियों या संयुक्त वनप्रबंध समितियों द्वारा किया जाए। D. कार्य वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक हो। E. बोल्लर/रेत के विक्रय से प्राप्त वनराशि का उपयोग वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किया जाना हो।</p>
<p>भूमिगत जलसंचयन के लिए बोल्लर/रेत एकत्रित करना।</p>	<p>इन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कि :- A. कोई छूट नहीं कर रहा हो। B. आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो।</p>

कण्डिका क्रमांक - 37

**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA
Remittances to precede 2nd stage clearance.**

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/7-1/2004

(CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 12.05.2011)

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रत्याशा मूल्य की राशि हेतु छुट दी गई है। पत्र संलग्न है।

(.....)
वन मण्डलाधिकारी
(गो.व.से.)
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
वनमंडलाधिकारी
कटघोरा, वनमण्डल
जिला- कोरबा (छ.ग.)

राज्य सरकार
 वन विभाग
 वन संचालक, जंगल, जंगल, रायपुर

रायपुर दिनांक 11/07/2008

कमांक/एन-7 8/2008/एन-2

प्रति,

समस्त अवर पुरुष सचिव/
 प्रमुख सचिव/सचिव,
 भारतीय न्यायालय
 जिला
 जिला रायपुर ।

विषय- Honble Supreme Court's orders dated 26.03.2008 and order dated 09.05.2008 in IA No. 826 in 566 and related IA's regarding the rate of the Net Present Value (NPV) of forest land


संदर्भ श्री एन०के० जिकराजय, सदस्य सचिव, केन्द्रीय वन्यजीव समिति का पत्र क्रमांक 1-19/सी०ई०सी०/एफ०सी०/2006- पाठ, दिनांक 05.06.2008.

— 0 —

अथवा 3 6

र पत्र संख्या
 (ए-परप)
 एन (ए.ए.)

माननीय राज्य न्यायालय ने प्रकरण कमांक 202/1995 मोदा वर्मन विरुद्ध भारत सरकार के प्रकरण में I. A No 826 में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है । इस प्रकरण के अंतर्गत माननीय राज्य न्यायालय द्वारा श्रीमति कंचन चौपड़ा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया था । इस समिति के द्वारा पूरे भारत वर्ष के वनों को इकोसायकल क्लासेस में बांटकर निम्नानुसार Net present Value की दरें प्रस्तावित की है -



Net Value Class	Very Dense Forest	Dense Forest	Open Forest
Class I	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class II	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class III	8,67,000	8,03,000	6,26,000
Class IV	6,26,000	5,63,000	4,38,000
Class V	9,39,000	8,45,000	6,57,000
Class VI	9,39,000	8,45,000	6,57,000

माननीय राज्य न्यायालय द्वारा नई दरें लागू करने के निर्देश दिये हैं । माननीय राज्य न्यायालय ने निम्नलिखित कार्यों हेतु वन भूमि को उपयोग होने की

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

अधोरोक्त मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की कार्यावृत्ति संलग्न प्रेषित है ।
इसके अतिरिक्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

... ..
(सौ.शालोन्म सिंघ)
सचिव

उपपर शासन, वन विभाग
रायपुर दिनांक 01./08./2005

संख्यांक/एफ-7-8/2001/10-7
प्रतिलिपि

1. श्री सी.डी.सिंह, अतिरिक्त महानिरीक्षक (M.C.A.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (से.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण प्रबन्धन बिल्डिंग रोड नं-3 ई-5, रविशंकर नगर कोयल (म.प्र.) ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन-सहाय्यी, छत्तीसगढ़ ।
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य का विकास विभाग रायपुर ।
7. सहाय्य वन संरक्षक ।

की और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया माहौलीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

... ..
सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़
अध्यय भवन, नैडिकल कॉलेज रोड, रायपुर (जोस्था : भू - प्रबंध)
रायपुर - 491002

संख्यांक/नू. प्रबंध/विशेष/ 185/6
प्रतिलिपि -

रायपुर, दिनांक 18/08/2005

- 1. सहाय्य वन संरक्षक को
- 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (से.) को
- 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन-सहाय्यी को
- 4. श्री सुभाष चंद्र आचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित ।

... ..
मुख्य वन संरक्षक (वि-प्रबंध)
नैडिकल कॉलेज रोड (एफ सी एच) रायपुर (491002)
छत्तीसगढ़ राज्य

... ..
... ..

"A detailed note on Siol Productivity or the lack of it"

**(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का
पत्र क्रमांक/FNo. 2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)**

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल आवेदित वनभूमि का "A detailed note on Siol Productivity or the lack of it" महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के व्यपवर्तन हेतु कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत संरक्षित वनखण्ड से कक्ष क्रमांक 403,391,383,382,381,353,352,354,348 रकबा 0.767 हेक्टर, गारगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 708,707 रकबा 0.029 हेक्टर, राजस्व वनभूमि रकबा 0.017 एवं कुल रकबा 0.813 हेक्टर की मांग कि गई है। आवेदित वनक्षेत्र में भूमि की दशा

.....

.....

(.....)

वन मण्डल अधिकारी
(भा.व.स.)
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
वनमंडल अधिकारी
कटघोरा, वनमण्डल
जिला- कोरबा (छ.ग.)

कण्डिका क्रमांक - 39

परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र

क्रमांक/FNo. 2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा वन भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा।



(अमन कुमार सिंह)


महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कटघोरा


उप वनमंडलाधिकारी
कटघोरा


वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

कण्डिका क्रमांक - 40

Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980- Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/ FNo. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011)

इस परियोजना हेतु 0.813 हेक्टर वनभूमि की आवश्यकता है। अतः 500 हेक्टर से कम होने के कारण इस प्रपत्र की आवश्यकता नहीं है।


वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा


(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़


कण्डिका क्रमांक - 41

पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

(छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ भू प्रबंध/विविध/एल.एम.एस.-115-635/2104 दिनांक 26-08-2016)

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/भू प्रबंध/विविध/एल.एम.एस.-115-635/2104 दिनांक 26-08-2016 में दिये गये निर्देशानुसार रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आफिटकल फायबर केबल बिछाने के प्रस्ताव हेतु निम्नानुसार राशि जमा किया गया ।

क्रमांक	विवरण	डी.डी. क्र. दिनांक	राशि रु. में	पी.डी. खाता में जमा चालान क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4	5
1	पंजीयन शुल्क	110748 dt. 19-07-16	6000.00	
2	प्रोसेसिंग शुल्क	110744 dt. 19-07-16	29000.00	
योग:-			35000.00	


 वन मण्डलाधिकारी
 (भा. व. रा.)
 कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
 वनमंडलाधिकारी
 कटघोरा, वनमण्डल
 जिला- कोरबा (छ.ग.)

वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अभिमत

(विशेषकर खनन प्रकरणों में)

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान

मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अभिमत कि आवश्यकता नहीं है।

()
वन मण्डलाधिकारी
(मा. व. सं.), कटघोरा
वनमंडलाधिकारी
कटघोरा, वनमण्डल
जिला- कोरवा (छ.ग.)

विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण

(भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-CHC 022/2010-BHQ/934 दिनांक 24.05.2010)

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियाजना हेतु महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा ओ.एफ.सी लाइन बिछाने कार्य प्रस्तावित है अतः इस प्रपत्र की आवश्यकता नहीं है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण

- (1) डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं सी.डी.
- (2) मानचित्र



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़